

**सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने व हरकते करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.12.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर कि सूचना पर ग्राम पर इटौरा पुलिया के पास मु0अ0स0 517/25 धारा 296 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सोनू चौहान पुत्र प्रभू चौहान व सूरज चौहान पुत्र लाल चन्द्र निवासीगण होनाईच गोड़ी की मठिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया।

**अभियुक्त का विवरण-**

1. सोनू चौहान पुत्र प्रभू चौहान निवासी होनाईच गोड़ी की मठिया
2. सूरज चौहान पुत्र लाल चन्द्र निवासी होनाईच गोड़ी की मठिया

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 517/25 धारा 296 बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

**गिरफ्तार कर्ता-**

1. उ0नि0 विजय कुमार सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. हे0का0 शिव कुमार यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. म0का0 रीना यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

**अन्तरजनपदीय वांछित 01 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 1500/- रुपये बरामद -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिय मुखबीर की सूचना पर भदेसरा मोड़ के पास से मु0अ0स मु.अ.सं.192/2025 धारा

303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण में वांछित अभियुक्त 1. उमेश राजभर पुत्र रामदिली सा0 चन्द्रवार थाना नगरा जनपद बलिया के कब्जे से चोरी के 1500 नगदी बरामद कर गिरफ्तार किया तथा चालान न्यायलय किया गया।

**अपराध करने का तरीका** - उपरोक्त अभियुक्त एक शातीर किस्म का अन्तरजनपदीय अपराधी है जो जनपद मऊ तथा बलिया में सोलर पैनल की चोरी करके आस पास के जनपदों में ग्राहक सेट कर सोलर के सामानों को बेच देता है तथा मोबाइल टावरों पर लगे सोलर पैनल को भी चोरी किया जाना इसके द्वारा बताया गया है। थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 12.09.2025 की रात्रि में सुल्तापुर उर्फ बनौरा स्थित रिलायंस जिओ कम्पनी के टावर में लगे सोलर पैनल को इसके साथियों 1. भुपेन्द्र यादव पुत्र मोहन यादव निवासी कोदई थाना नगरा जनपद बलिया उम्र-21 वर्ष 2. अखिलेश राम पुत्र स्व0 राजनाथ राम उर्फ नन्हक निवासी परजीपार थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र-21 वर्ष द्वारा चोरी किया गया था जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.192/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पूछताछ के दौरान उक्त चोरी से सम्बन्धित सोलर पैनल को गिरफ्तार अभियुक्त तथा इसके साथियों द्वारा चोरी किया जाना स्वीकार किया गया है। पूर्व में भी उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तार अभियुक्त के साथियों को थाना स्थानीय से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. उमेश राजभर पुत्र रामदिली निवासी चन्द्रवार थाना नगरा जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष पंजीकृत अभियोग

1. मु.अ.सं.192/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

**बरादगी-**

1. चोरी के 1500 रुपये बरामद।

**अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 192/25 धारा धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
2. मु0अ0स0 140/24 धारा 305(ए), 317(2), 331(4) बीएनएस पकड़ी बलिया ।
3. मु0अ0स0 989/2017 धारा 380, 457 भादवी रसड़ा बलिया ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 सुनील कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 किशन कुमार शुक्ला, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. हे0का0 इमरोज खान, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. का0 अंकित कुमार यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

### **उर्वरक का अवैध निर्माण करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम के द्वारा मु0अ0स0. 247/25 धारा 336(3) बीएनएस व 08 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व 63 कापी राइट एक्ट 1957 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 थाना दोहरीघाट, अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक (पोटाश, डी.ए.पी, जिंक) निर्मित करने के मामले में वांछित अभियुक्त आयुष राय पुत्र विक्रम राय निवासी पीली कोठी गाँठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 02.12.2025 को 04 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है ।

### **अभियुक्त का विवरण –**

1. आयुष राय पुत्र विक्रम राय निवासी पीली कोठी गाँठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0. 247/25 धारा 336(3) बीएनएस व 08 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व 63 कापी राइट एक्ट 1957 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ0नि0 पंकज कुमार यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. का0 मनोज कुमार यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

### **02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10.12.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण शिवप्रसाद पुत्र परदेशी निवासी बरसातपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, सुल्तान अहमद पुत्र मो0 वैश निवासी हिकमा गाढ़ा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

### **97 अदद फ्रूटी बंटी बबली देशी नाजायज शराब (200 एमएल) कुल 9.4 लीटर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम के द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर लालू मोड़ के पास मु0अ0स0 257/25 धारा 60 आबकारी अधि० थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त 1. गोलू सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर सा) रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष 2. जगजीत सिंह पुत्र श्रीपति सा गोफा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 50 वर्ष के कब्जे से 97 अदद फ्रूटी बन्टी बबली देशी नाजायज शराब 200 एमएल (कुल 19.4 लीटर) बरामद करते हुए गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **अभियोग का विवरण**

1. मु.अ.सं. 257/25 धारा 60 आबकारी अधि० थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

#### **नाम पत्ता गिरफ्तारस्दा अभियुक्त-**

1. गोलू सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर सा० रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. जगजीत सिंह पुत्र श्रीपति सा० गोफा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 50 वर्ष

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ०नि० सत्येन्द्र प्रजापति थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. का० सुनील गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. का० संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

**यूपीआई के माध्यम से अज्ञान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 49,999 (उन्चास हजार नौ सौ निन्यानवे ) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अज्ञान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 49999/- (उन्चास हजार नौ सौ निन्यानवे ) रुपये पीडित अमन पटवा पुत्र श्री राम पटवा निवासी शिवपुरी पांती थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल 49999 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

#### **बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. उपनिरीक्षक दीपनारायण कुमार (नोडल अधिकारी),
2. महिला उपनिरीक्षक प्रियंका यादव (सहायक नोडल अधिकारी)
3. हेड ऑपरेटर पवन कुमार सिंह ,
4. आरक्षी अजीत कुमार पाल

## 5. महिला आरक्षी बिन्दू पटेल